

15

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं०सं०-2/एम-46/2022-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-522(2), दिनांक-13.05.2016 द्वारा डा० गौतम राम को सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। डा० गौतम राम द्वारा अपना नाम "डा० गौतम राम" के स्थान पर "डा० गौतम गर्ग" के रूप में परिवर्तित कर बिहार गजट में दिनांक-28.08.2019 को प्रकाशित कराने के फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक-1286(2), दिनांक-05.09.2022 द्वारा "डा० गौतम राम" के स्थान पर "डा० गौतम गर्ग" पढ़े जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से प्रकाशित विज्ञापन संख्या-12/2025 के विरुद्ध आयोग द्वारा Gautam Ram के नाम की अनुशंसा की गयी है। आयोग से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-252(2), दिनांक-06.02.2026 द्वारा Dr Gautam Ram के नाम से ही नियुक्ति-सह-पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत किया गया है।

3. वर्तमान में डा० गौतम गर्ग द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) के नियुक्ति-सह-पदस्थापन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-252(2), दिनांक-06.02.2026 के क्रम संख्या-33 पर अंकित नाम 'Gautam Ram' को परिवर्तित करते हुए 'Gautam Garg' करने का अनुरोध किया गया है।

4. अतः वर्णित तथ्यों एवं पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1286(2), दिनांक-05.09.2022 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-252(2), दिनांक-06.02.2026 के क्रमांक-33 द्वारा अधिसूचित 'Gautam Ram' के स्थान पर 'Gautam Garg' पढ़ा जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एम-46/2022- 1778(2)/स्वा०, पटना, दिनांक 27/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, चकिया, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० गौतम गर्ग, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, चकिया, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
27/7/26

1778(2)
27/7/26